

29.2.16

पत्रावली पेश हुई वकीलवादी एवं वादीगण ने प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चालते हैं। अतः वाद पत्र खारिज किया जाय फरमावे।

वकील वादी एवं वादीगण आगे कोई कार्यवाही नहीं चालने से वाद पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फौजदारी नुमाद होकर नम्बर से कम हो।

*ms*  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

६

२९

२९

५

*ms*